78 सूरए अन नबा

आयत 1:
आयत का अनुवाद:
"ये लोग आपस में किस चीज़ का हाल पूछते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा (Pratijna): इस आयत का तर्क है कि मनुष्य किसी खास बात पर आपस में चर्चा करते हैं।
- हेतु (Hetu): आयत में कहा गया है कि लोग एक बड़ी खबर का हाल पूछते हैं।
- उदाहरण (Udaharana): मानव समाज में बातचीत सामान्य है, परंतु सभी चर्चाएँ महत्वपूर्ण या सत्यपरक नहीं होतीं। मानव संवाद कई बार भ्रांतियों और मिथकों पर आधारित भी होता है।
- उपनय (Upanaya): इसलिए यह कथन कि "लोग किसी 'बड़ी खबर' का हाल पूछते हैं" केवल सामान्य कथन है, और इसमें कोई तर्कसंगत या दार्शनिक आधार नहीं है कि यह खबर सत्य या सार्थक है।
- निगमन (Nigamana): यह आयत प्रमेय के दृष्टिकोण से तर्कहीन है क्योंकि यह बिना किसी प्रमाण के एक कथित "बड़ी खबर" को चर्चा का विषय बताती है, जो सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

दार्शनिक संदर्भ:

- नीतिशास्त्र (मनुस्मृति): संवाद का उद्देश्य सत् ज्ञान होना चाहिए, न कि अफवाह।
- पातंजलि योगदर्शन: वाक् के माध्यम से शुद्ध ज्ञान और सत्य की प्राप्ति होती है, न कि अनिश्चित बातों का प्रसार।

आयत 2:

आयत का अनुवादः
"एक बड़ी ख़बर का हाल।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचनाः

- प्रतिज्ञाः आयत कहती है कि चर्चा का विषय एक "बड़ी खबर" है।
- हेतुः परन्तु आयत में "बड़ी खबर" के प्रमाण या स्वभाव का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। यह अतार्किक है कि बिना प्रमाण के कोई खबर बड़ी मानी जाए।
- उदाहरणः इतिहास में कई बार बड़े दावे बिना प्रमाण के फैलाए गए और वे मिथक साबित हुए (जैसे कुछ पौराणिक कथाएँ)।
- उपनयः अतः यह दावा न्याय दर्शन के हेतुवाद नियम के विरुद्ध है, क्योंकि कारण (बड़ी खबर) स्पष्ट और प्रमाणित नहीं है।
- निगमनः आयत का हेतुवाद कमजोर है, जो इसे तर्कसंगत बहस के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

दार्शनिक संदर्भः

- न्याय दर्शनः हेतुवाद में कारण को स्पष्ट, प्रमाणिक और सम्बन्धित होना आवश्यक माना गया है।
- वैशेषिक दर्शनः वस्तुनिष्ठ ज्ञान (प्रमेय) बिना स्पष्ट कारण (हेतु) अधूरा रहता है।

आयत 3:

आयत का अनुवादः
"जिसमें लोग एख़्तेलाफ कर रहे हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः यह आयत कहती है कि लोग उस खबर पर मतभेद कर रहे हैं।**
- **हेतुः परन्तु आयत यह स्पष्ट नहीं करती कि यह मतभेद किस कारण से है और क्या वह उचित या तार्किक है।**
- **उदाहरणः किसी भी विवाद में, यदि तथ्य स्पष्ट और व्याप्ति संपूर्ण हो, तो विवाद नहीं होना चाहिए।**
- **उपनयः न्याय दर्शन के अनुसार, यदि वस्तु और कारण के बीच व्याप्ति (अटल सम्बंध) नहीं है, तो विवाद उचित नहीं है। यहाँ व्याप्ति स्पष्ट नहीं, इसलिए विवाद की वैधता संदिग्ध है।**
- **निगमनः यह आयत विवाद को एक ऐसी वस्तु मानती है जो तर्कहीन और असंपूर्ण है, जो सार्वभौमिक मान्यता के विरुद्ध है।**

दार्शनिक संदर्भः

- **सांख्य दर्शनः विवेक और बुद्धि से समर्थित विवाद ही सार्थक होते हैं।**
- **उत्तरा मीमांसाः सत्य की व्याप्ति बिना शंका के होनी चाहिए, अन्यथा वह विवाद उचित नहीं।**

आयत 4:
आयत का अनुवादः
"देखो उन्हें अनक़रीब ही मालूम हो जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्वः
अनुमान (Anumana)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः आयत भविष्यवाणी करती है कि विवाद के विषय में जल्द ही सत्य ज्ञात होगा।**

- **हेतु: परन्तु यह भविष्यवाणी बिना किसी तर्क या प्रमाण के की गई है, जो न्याय दर्शन में अनुमोदित नहीं।**
- **उदाहरण: भविष्यवाणियाँ यदि प्रमाण और तर्क के बिना हों, तो वे अंधविश्वास और अप्रमाणित मान्यताओं का हिस्सा बनती हैं।**
- **उपनय: न्याय दर्शन में अनुमानों को भी प्रमाण और उचित तर्क के साथ समर्थन देना आवश्यक है। यहाँ यह नहीं है।**
- **निगमन: इस आयत का अनुमान दार्शनिक दृष्टि से अवैध और अप्रमाणिक है।**

दार्शनिक संदर्भ:

- **न्याय दर्शन: अनुमान का आधार प्रत्यक्ष या शब्द प्रमाण होना चाहिए।**
- **मनुस्मृति: अप्रमाणित भविष्यवाणियाँ समाज में भ्रम फैलाती हैं।**

आयत 5:
आयत का अनुवाद:
"फिर इन्हें अनक़रीब ही ज़रूर मालूम हो जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
निगमन (Conclusion)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: यह आयत पुनः सत्य के शीघ्र प्रकट होने की पुष्टि करती है।**
- **हेतु: परन्तु बिना उपयुक्त प्रमाण और तर्क के, यह निष्कर्ष अस्थिर है।**
- **उदाहरण: बिना वैध प्रक्रिया और तर्क के निकाले गए निष्कर्ष न केवल अस्थिर होते हैं, बल्कि भ्रामक भी होते हैं।**

- उपनय: न्याय दर्शन और भगवद्गीता (सर्व कर्माणि मनसा नियम्यते) दोनों तर्क, ज्ञान और ध्यान से निष्कर्ष की आवश्यकता बताते हैं।
- निगमन: यह आयत तर्कसंगत और सार्वभौमिक सत्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे गलत माना जाना चाहिए।

दार्शनिक संदर्भ:

- भगवद्गीता: ज्ञान के बिना निष्कर्ष लेना अज्ञान की निशानी है।
- पातंजलि योग: सत्य ज्ञान ध्यान और विवेक से प्राप्त होता है, न कि अनुमान से।

सारणी: आयत 1-5 का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक दोषों का सारांश

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना	सार्वभौमिक अस्वीकार्य कारण
1	प्रमेय	बिना प्रमाण "बड़ी खबर" पर चर्चा।	तथ्यहीन और अनुभवहीन कथन।
2	हेतु	"बड़ी खबर" का प्रमाण नहीं।	तर्कहीन और अवैध कारण।
3	व्याप्ति	विवाद की व्याप्ति अस्पष्ट।	विवाद तर्कहीन और असंपूर्ण।
4	अनुमान	भविष्यवाणी बिना प्रमाण के।	अप्रमाणित और अंधविश्वासी।
5	निगमन	बिना तर्क निष्कर्ष।	अस्थिर और भ्रमित करने वाला।

समग्र निष्कर्ष:

सूरह अन नबा की प्रथम पाँच आयतों में कही गई बातों का कोई तार्किक, दार्शनिक या प्रमाणिक आधार न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार नहीं पाया जाता। ये आयतें अनुभव, प्रमाण, और तर्क के विरुद्ध हैं। साथ ही, वे भारतीय दर्शन के ज्ञान और विवेक के सिद्धांतों से असंगत हैं। अतः यह कथन सार्वभौमिक मानवता के लिए स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

निम्नलिखित कुरान की आयतें 6 से 10 तक न्याय दर्शन के तत्वों के आधार पर तार्किक और दार्शनिक दृष्टि से विश्लेषित एवं आलोचित हैं।

आयत 6

आयत का अनुवादः
क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया?

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञाः
कहना है कि ज़मीन केवल एक बिछौना (चादर की तरह सपाट) है।

हेतुः
आयत में ज़मीन को सिर्फ़ बिछौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरणः
वैज्ञानिक और प्राकृतिक अनुभव से ज्ञात है कि ज़मीन अनेक प्रकार की बनावटों से युक्त है – पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, वन आदि।

उपनयः
यदि ज़मीन केवल एक सपाट बिछौना होती, तो जीवन की विविधता, जल स्रोत और भौगोलिक संरचनाएँ संभव नहीं होतीं।

निगमनः
इस आयत का प्रमेय भौतिक और वैज्ञानिक तथ्य के विरुद्ध है। यह मानव अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान से असंगत है।

आयत 7

आयत का अनुवादः
और पहाड़ों को ज़मीन की मेखे (खंभे/सहारे) नहीं बनाया?

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय एवं प्रमाण (Object of Knowledge & Valid Knowledge)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञाः
पहाड़ ज़मीन के स्थिरता के लिए मेखे अर्थात सहारे हैं।

हेतुः
आयत में पहाड़ों को ज़मीन की स्थिरता के लिए सहारा बताया गया है।

उदाहरणः
वैज्ञानिक भूविज्ञान के अनुसार, पहाड़ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और ज्वालामुखी क्रियाओं से बने हैं। वे ज़मीन को स्थिर रखने वाले खंभे नहीं हैं।

उपनयः
पृथ्वी के स्थायित्व में पहाड़ों की भूमिका इस रूप में नहीं है, जैसा आयत में वर्णित है।

निगमनः
यह कथन प्रमाण आधारित वैज्ञानिक ज्ञान के विरुद्ध है, अतः असंगत है।

आयत 8

आयत का अनुवादः
और हमने तुम लोगों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया।

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Valid Knowledge)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञाः
मानव केवल युगल (जोड़े) के रूप में पैदा हुए।

हेतुः
यह आयत मानव प्रजनन को युगल के रूप में बताती है।

उदाहरणः
वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार, मानव जीवन की उत्पत्ति विकासवादी प्रक्रिया से हुई है, जिसमें युगल की भूमिका मात्र प्रजनन के लिए है। मानव केवल जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं होते, बल्कि मानव समाज, आनुवंशिक विविधता और पर्यावरण के सहारे विकसित होते हैं।

उपनयः
आयत का यह पक्ष विकासवादी और आनुवंशिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता।

निगमनः
यह कथन वैज्ञानिक प्रमाण और तार्किक ज्ञान के विपरीत है।

आयत ९

आयत का अनुवादः
और तुम्हारी नींद को आराम (का बाइस) करार दिया।

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा:
नींद को आराम का कारण बताया गया।

हेतु:
आयत में नींद को विश्राम का आधार माना गया है।

उदाहरण:
वैज्ञानिक शोध मानते हैं कि नींद केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक आराम और पुनःचेतना के लिए भी जरूरी है।

उपनय:
यह आयत मानव नींद की भूमिका को सीमित और संकुचित रूप में प्रस्तुत करती है।

निगमन:
यह आयत नींद के व्यापक प्रभावों को नहीं दर्शाती, इसलिए अपूर्ण और अधूरा ज्ञान प्रस्तुत करती है।

आयत 10

आयत का अनुवाद:
और रात को परदा बनाया।

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा:
रात को परदा (आड़) बताया गया।

हेतु:
रात को अंधकार का आवरण या पर्दा माना गया।

उदाहरण:
वैज्ञानिक दृष्टि से, रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घुमने के कारण दिन और रात का चक्र है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र है।

उपनयः
रात को केवल परदा कहना एक उपमा मात्र हो सकता है, लेकिन इसे तर्कसंगत वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

निगमनः
यह कथन एक रूपक है, लेकिन इसे शाब्दिक रूप में लेने पर वैज्ञानिक तथ्य से विपरीत परिणाम होता है।

सारणी (Summary Table)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना	तार्किक दोष / असंगति
6	प्रमेय	ज़मीन को केवल बिछौना बताना असंगत	प्राकृतिक विविधता को नकारना
7	प्रमेय, प्रमाण	पहाड़ों को स्थिरता के सहारे बताना गलत	भूविज्ञान के तथ्य के विपरीत
8	प्रमाण	मानव उत्पत्ति का विकासवादी तथ्य से विरोध	युगल रूपक का वैज्ञानिक तथ्य से विरोध
9	प्रमेय	नींद के व्यापक कारणों को सीमित करना	वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधूरा ज्ञान
10	हेतु	रात को परदा कहना रूपक है, शाब्दिक नहीं	वैज्ञानिक तथ्य से सटीक नहीं

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में प्राकृतिक तथ्यों, मानव विकास, और विज्ञान के व्यापक ज्ञान की उपेक्षा की गई है। कई कथन रूपकों पर आधारित हैं, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्यापित करना आवश्यक है। न्याय दर्शन के प्रमेय,

प्रमाण, और हेतुओं के संदर्भ में ये आयतें व्यापक और सार्वभौमिक ज्ञान के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए मानवता के लिए सर्वसामान्य सत्य मानना तार्किक रूप से असंगत है।

यदि आप अगली आयतों का भी इसी प्रकार विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया बताएं।

आयत 11

आयत का अनुवाद:
"और हम ही ने दिन को (कसब) मआश (का वक़्त) बनाया।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya – ज्ञान का विषय)

प्रतिज्ञा (Proposition):
दिन को जीविका या कर्म का समय बनाया गया है।

हेतु (Reason):
आयत यह दर्शाती है कि दिन का समय जीविका (मआश) के लिए निर्धारित है।

उदाहरण (Example):
वैशेषिक दर्शन में दिन-रात्रि समय प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, परन्तु जीविका का आधार केवल समय पर निर्भर नहीं करता। गीता (अध्याय 3, श्लोक 9) में कर्म के निरंतर प्रवाह की बात की गई है, न कि केवल दिन को।

उपनय (Application):
प्रकृति ने समय निर्धारित किया है, पर जीविका का समय केवल दिन नहीं बल्कि सतत कर्म और योग्यता पर निर्भर है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दिन को जीविका का मात्र आधार बनाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जीविका कर्म, योग्यता, और समय के साथ अन्य कारणों पर निर्भर है।

आयत 12

आयत का अनुवाद:
"और तुम्हारे ऊपर सात मज़बूत (आसमान) बनाए।"

चुना गया न्याय तत्वः प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञाः
आसमान सात परतों में बनाए गए हैं।

हेतुः
आयत में खगोल विज्ञान का एक निश्चित मॉडल प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरणः
वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ब्रह्माण्ड में आकाश केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि अनंत और विस्तृत है। वेदांत में भी "अक्षर" और "आकाश" को व्यापक समझा गया है।

उपनयः
सात आकाशों का विचार प्राचीन पौराणिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, परन्तु आधुनिक विज्ञान और योगदर्शन के अनुसार यह सीमित और असत्य प्रतीत होता है।

निगमनः
आसमान को केवल सात परतों में बांधना वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण है।

आयत 13

आयत का अनुवादः
"और हम ही ने (सूरज) को रौशन चिराग़ बनाया।"

चुना गया न्याय तत्वः Hetu (Reason)

प्रतिज्ञाः
सूरज को एक प्रकाशमान चिराग़ बताया गया है।

हेतुः
सूरज की प्रकृति को एक जलता हुआ दीपक कहा गया है।

उदाहरणः
वैज्ञानिक दृष्टि से सूरज एक जलता हुआ गैस का गोला है, पर वह स्वयं प्रकाश का स्रोत है, किसी चिराग की तरह नहीं।

उपनयः

सूरज को चिराग़ कहना सीमित उपमान है, क्योंकि चिराग जलता हुआ पदार्थ होता है, जबकि सूरज एक प्राकृतिक गैसीय ग्लोब है।

निगमनः

यह उपमान गलत दिशा में ले जाता है और वैज्ञानिक सत्य से मेल नहीं खाता।

आयत 14

आयत का अनुवादः

"और हम ही ने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया।"

चुना गया न्याय तत्वः प्रमाण (Pramana)

प्रतिज्ञाः

बादलों से भारी वर्षा होती है।

हेतुः

बादलों को वर्षा का कारण बताया गया है।

उदाहरणः

वैज्ञानिक और प्राकृतिक ज्ञान के अनुसार, वर्षा जल वाष्प के संघनन से होती है। यह तर्कसंगत और प्रमाणित है।

उपनयः

यह द्रष्टांत प्राकृतिक घटनाओं के अनुसार सत्य है।

निगमनः

यह आयत तर्कसंगत और प्रमाणित है, परन्तु वर्षा के वैज्ञानिक कारणों का अभाव दर्शाती है।

आयत 15

आयत का अनुवाद:
"ताकि उसके ज़रिए से दाने और सब्ज़ी (हो सके)।"

चुना गया न्याय तत्व: उपमान (Upamana)

प्रतिज्ञा:
वर्षा के कारण अनाज और सब्ज़ी उत्पन्न होती हैं।

हेतु:
वर्षा कृषि उपज का मुख्य कारण है।

उदाहरण:
सांख्य दर्शन और वेदांत दोनों में प्रकृति के चक्र के आधार पर कृषि की महत्ता बताई गई है।

उपनय:
प्राकृतिक चक्र का यह तर्क सही है परन्तु आयत में कृषि के लिए वर्षा का केवल कारण होना पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि उचित कृषि पद्धति, श्रम, और अन्य तत्व भी जरूरी हैं।

निगमन:
आयत का संदेश आंशिक रूप से सही है, पर यह मानव प्रयास और अन्य कारकों की उपेक्षा करता है।

सारणी: तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	तर्क की कमियाँ/विरोधाभास	भारतीय दर्शन संदर्भ
11	**प्रमेय**	**जीविका केवल दिन पर निर्भर नहीं है।**	**भगवद् गीता 3.9 (कर्म योग)**
12	**प्रमेय**	**आसमान को केवल सात परतों में बांधना वैज्ञानिक दृष्टि से गलत।**	**वैशेषिक (परमाणु और ब्रह्मांड सिद्धांत)**
13	**हेतु**	**सूरज को जलते हुए चिराग़ से तुलना करना असंगत।**	**न्याय दर्शन (कारण-कार्य संबंध)**
14	**प्रमाण**	**वर्षा का वर्णन सही पर वैज्ञानिक कारणों**	**पतञ्जलि योगदर्शन (प्रकृति**

		का अभाव।	नियम)
15	उपमान	वर्षा कृषि हेतु आवश्यक पर अकेला कारण नहीं।	सांख्य योग (प्रकृति एवं पुरुष का सहकार्य)

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन आंशिक रूप से तर्कसंगत है, परंतु उनमें वैज्ञानिक कारणों का अभाव, अतिसाधारण उपमान, और मानव प्रयासों की उपेक्षा देखने को मिलती है। न्याय दर्शन और भारतीय दार्शनिक शास्त्रों के आधार पर ये आयतें सार्वभौमिक सत्य के मानदंड पर खरे नहीं उतरतीं और इसलिए मानवता के लिए पूर्णतया उपयुक्त संदेश नहीं देतीं।

आयत 16

आयत का अनुवाद:
"और घने घने बाग़ पैदा करें।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya – ज्ञान का विषय)

प्रतिज्ञा (Proposition):
घने बाग़ उत्पन्न करना एक निश्चित प्राकृतिक प्रक्रिया है।

हेतु (Reason):
आयत में घने बाग़ों के सृजन को ईश्वर की एक विशेष कृपा बताया गया है।

उदाहरण (Example):
वैशेषिक दर्शन में वृक्षों और वनस्पतियों के विकास के कारणों में मिट्टी, जल, वायु, और बीज के गुण शामिल हैं। गीता (अध्याय 3, श्लोक 14) में भी प्रकृति के चक्र और कर्म के आधार पर जीवन का विकास बताया गया है।

उपनय (Application):
वनस्पति का विकास प्राकृतिक नियमों और जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर है, न कि केवल ईश्वरीय इच्छा पर।

निगमन (Conclusion):
आयत में वनस्पति सृजन को केवल ईश्वर की इच्छा से जोड़ना प्रमेय की दृष्टि से अप्रमाणित है क्योंकि इसमें प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों को उपेक्षित किया गया है।

आयत 17

आयत का अनुवाद:
"बेशक फैसले का दिन मुक़र्रर है।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (Reason)

प्रतिज्ञा:
एक निश्चित न्याय दिन (कयामत) निश्चित रूप से आएगा।

हेतु:
आयत में यह कहा गया है कि अंततः न्याय का दिन निश्चित है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर विश्वसनीय परिणाम अपेक्षित होते हैं। लेकिन समय की निश्चितता के बिना इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

उपनय (Application):
वैदिक और सांख्य दर्शन में समय और काल की निरंतरता पर बल दिया गया है, न कि एक निश्चित अंतिम दिन पर।

निगमन (Conclusion):
इस आयत का दावा बिना वैज्ञानिक या तर्कसंगत प्रमाण के किया गया है, जो न्याय दर्शन के कारण-प्रभाव सिद्धांत से मेल नहीं खाता।

आयत 18

आयत का अनुवाद:
"जिस दिन सूर फूँका जाएगा और तुम लोग गिरोह गिरोह हाज़िर होगे।"

चुना गया न्याय तत्व: अनुमान (Anumana)

प्रतिज्ञा:
सूर (शंख) के फूँकने से एक अंतिम दिन होगा जिसमें सभी लोग इकट्ठे होंगे।

हेतु:
आयत में एक अलौकिक घटना का वर्णन है जो विश्वास पर आधारित है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में अनुमान तभी स्वीकार्य होता है जब उसका प्रमाण हो। इस घटना का कोई प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

उपनय (Application):
भारतीय दर्शन में भी अंतिम न्याय की अवधारणा भिन्न है, जैसे कि कर्म सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म।

निगमन (Conclusion):
यह आयत तर्क और प्रमाण की कमी के कारण न्याय दर्शन की मान्यताओं के विरुद्ध है।

आयत 19

आयत का अनुवाद:
"और आसमान खोल दिए जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
आख़िरी दिन आसमान के खुलने की घटना होगी।

हेतु:
आसमान के खुलने का वर्णन भौतिक और अलौकिक घटना के रूप में किया गया है।

उदाहरण:
वैज्ञानिक दृष्टि से, ब्रह्माण्ड में स्थिरता और विस्तार की प्रक्रियाएँ हैं, न कि "आसमान का खुलना"।

उपनयः
 वैदिक दृष्टिकोण में ब्रह्माण्ड के चक्र और पुनरावृत्ति का वर्णन है, परन्तु ऐसा कोई अलौकिक खुलना नहीं।

निगमनः
 यह आयत भौतिक और वैज्ञानिक ज्ञान के विपरीत है और न्याय दर्शन की प्रमेय की मान्यता को चुनौती देती है।

आयत 20

आयत का अनुवादः
 "तो (उसमें) दरवाज़े हो जाएँगे और पहाड़ (अपनी जगह से) चलाए जाएँगे तो रेत होकर रह जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्वः व्याप्ति (Vyapti – अनिवार्य सम्बन्ध)

प्रतिज्ञाः
 अंतिम दिन पहाड़ हिलेंगे और धरती रेत बन जाएगी।

हेतुः
 आयत में प्राकृतिक स्थिरता के विरुद्ध भारी परिवर्तन की बात की गई है।

उदाहरणः
 वैज्ञानिक और वेदांत दोनों में स्थिरता और परिवर्तन के नियम हैं, परन्तु पहाड़ों का अचानक हिलना और रेत में परिवर्तित होना बिना वैज्ञानिक प्रमाण के असंभव है।

उपनयः
 भारतीय दर्शन में प्रकृति के विनाश और पुनरुत्थान के चक्र होते हैं, परन्तु इस प्रकार का वर्णन अतिशयोक्ति है।

निगमनः
 यह दावा न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि इसमें कारण-कार्य संबंध स्पष्ट और अनिवार्य नहीं है।

सारणीः तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	तर्क की कमियाँ/विरोधाभास	भारतीय दर्शन संदर्भ
16	प्रमेय	प्राकृतिक कारणों को नजरअंदाज कर ईश्वर की इच्छा को केंद्रित किया।	वैशेषिक (प्रकृति के कारण)
17	हेतु	न्याय दिन की निश्चितता बिना प्रमाण के।	सांख्य योग (काल और अनित्यत्व)
18	अनुमान	अलौकिक घटना का कोई प्रमाण नहीं।	न्याय दर्शन (प्रमाण का महत्व)
19	प्रमेय	भौतिक दुनिया में "आसमान का खुलना" असंगत।	वेदांत (ब्रह्माण्ड के चक्र)
20	व्याप्ति	कारण-प्रभाव संबंध स्पष्ट नहीं।	सांख्य योग (प्रकृति के चक्र)

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई अलौकिक और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे हैं जो न्याय दर्शन के प्रमाण, प्रमेय, तथा व्याप्ति सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ये कथन बिना किसी तर्क या प्रमाण के विश्वास पर आधारित हैं, जो सार्वभौमिक सत्य के मानदंडों के विरुद्ध हैं और मानवता के लिए उपयुक्त संदेश नहीं प्रदान करते।

आयत 21

आयत का अनुवाद:
"बेशक जहन्नुम घात में है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya – ज्ञान का विषय)

प्रतिज्ञा (Proposition):
जहन्नुम (नरक) का अस्तित्व और उसका स्थायी स्थान निश्चित है।

हेतु (Reason):
आयत में नरक को एक निश्चित, ठोस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में स्थान (देश) और समय (काल) के संदर्भ में वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है। लेकिन नरक का ठिकाना भौतिक रूप से स्थापित नहीं है।

उपनय (Application):
जहन्नुम के स्थायी अस्तित्व को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अलौकिक स्थान है।

निगमन (Conclusion):
इस आयत का दावा प्रमेय की दृष्टि से असंगत है क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

आयत 22

आयत का अनुवाद:
"सरकशों का (वही) ठिकाना है।"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Reason)

प्रतिज्ञा:
सरकश (बदमाश, अवज्ञाकारी) लोग जहन्नुम में रहेंगे।

हेतु:
आयत में उनका दंड नरक में रहने के रूप में बताया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म या दंड मिलता है, न कि एक निश्चित नरक में स्थायी दंड।

उपनय (Application):
सरकश लोगों का दंड केवल नरक में रहना ही नहीं, बल्कि उनके कर्मों का परिणाम विभिन्न जीवनों में मिलता है।

निगमन (Conclusion):
आयत की यह प्रस्तुति केवल एक धार्मिक विश्वास है, जिसका तार्किक या वैज्ञानिक समर्थन न्याय दर्शन में नहीं है।

आयत 23

आयत का अनुवाद:
"उसमें मुद्दतों पड़े झींकते रहेंगें।"

चुना गया न्याय तत्व: उपमान (Upamana – तुलना)

प्रतिज्ञा:
जहन्नुम में रहने वाले बहुत समय तक दर्द सहते रहेंगे।

हेतु:
आयत में स्थायी यातना का वर्णन किया गया है।

उदाहरण (Example):
वैदिक और सांख्य दर्शन में दुःख और सुख कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से संबंधित हैं, न कि स्थायी सजा से।

उपनय (Application):
दर्द और सुख का चक्र जीवन और मृत्यु के आवागमन में निरंतर होता रहता है, न कि स्थायी तौर पर एक जगह पर।

निगमन (Conclusion):
यह उपमान केवल धार्मिक कल्पना पर आधारित है, जो तर्कसंगत प्रमाण के अभाव में न्याय दर्शन के अनुरूप नहीं है।

आयत 24

आयत का अनुवाद:
"न वहाँ ठन्डक का मज़ा चखेंगे और न खौलते हुए पानी।"

चुना गया न्याय तत्व: व्याप्ति (Vyapti – अनिवार्य संबंध)

प्रतिज्ञा:
जहन्नुम में रहने वाले किसी भी तरह की ठंडक या राहत का अनुभव नहीं करेंगे।

हेतु:
आयत में यह स्पष्ट किया गया है कि नरक में कोई आराम नहीं है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में ऐसा व्याप्ति तभी स्वीकार्य होता है जब उसका कारण-प्रभाव संबंध स्पष्ट और सर्वव्यापक हो।

उपनय (Application):
ठंडक और आराम की अनुपस्थिति हर नरकवासीय के लिए जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

निगमन (Conclusion):
यह व्याप्ति अतिशयोक्तिपूर्ण और सर्वसार्वभौमिक नहीं है, अतः न्याय दर्शन के अनुसार असंगत है।

आयत 25

आयत का अनुवाद:
"और बहती हुयी पीप के सिवा कुछ पीने को मिलेगा।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
जहन्नुम के निवासियों को केवल पीप (एक कड़वी पेय) मिलेगा।

हेतु:
आयत में यह वर्णन नरक की यातना का हिस्सा है।

उदाहरण (Example):
वैदिक दृष्टिकोण में भी दुःख और कष्ट होते हैं, परन्तु स्थायी शारीरिक यातना का कोई प्रमाण नहीं।

उपनय (Application):
कठोर यातना का स्थायी अनुभव कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत वास्तविकता और तर्क से दूर है, अतः न्याय दर्शन के प्रमेय के विरुद्ध है।

सारणी: तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	न्याय तत्व	तर्क की कमियाँ / विरोधाभास	भारतीय दर्शन संदर्भ
21	प्रमेय	अलौकिक स्थान का अस्तित्व बिना प्रमाण के।	वैशेषिक (स्थान का अवलोकन)
22	हेतु	कर्मों का दंड नरक में स्थायी नहीं माना जाता।	सांख्य योग (कर्मफल सिद्धांत)
23	उपमान	स्थायी यातना की तुलना बिना वैज्ञानिक आधार के।	वेदांत (जीवन और मृत्यु का चक्र)
24	व्याप्ति	सभी के लिए आराम की अनुपस्थिति सर्वव्यापक नहीं।	न्याय दर्शन (कारण-प्रभाव का संबंध)
25	प्रमेय	स्थायी यातना का अनुभव तर्क संगत नहीं।	सांख्य योग (कर्म और पुनर्जन्म)

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में नरक और उसकी यातना को लेकर जो स्थायी और कठोर दावे किए गए हैं, वे न्याय दर्शन और भारतीय दार्शनिक परंपराओं के तर्क और प्रमाण के अनुरूप नहीं हैं। ये आयतें अलौकिक विश्वास पर आधारित हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंगत और मानवता के लिए उपयुक्त संदेश नहीं देतीं। अतः इन्हें तर्क और प्रमाण के आधार पर स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

आयत 26

आयत का अनुवाद:
"(ये उनकी कारस्तानियों का) पूरा पूरा बदला है।"

चुना गया न्याय तत्व: हेतु (Hetu – कारण/तर्क)

प्रतिज्ञा (Proposition):
दावा है कि पाप करने वालों को उनके कर्मों का पूरा बदला मिलेगा।

हेतु (Reason):
आयत में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मों के अनुसार सजा निश्चित है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन और सांख्य योग के अनुसार कर्मफल अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु वह पुनर्जन्म के चक्र में आता है, न कि एक बार के अंतिम दंड में।

उपनय (Application):
आयत का यह तर्क सीमित है क्योंकि यह केवल अंतिम न्याय (आख़ेरत) पर आधारित है, जो प्रमाणसंगत नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह हेतु अपर्याप्त है क्योंकि कर्म के फल को केवल आख़ेरत तक सीमित करना न्याय दर्शन के अनुसार तर्कसंगत नहीं।

आयत 27

आयत का अनुवाद:
"बेशक ये लोग आख़ेरत के हिसाब की उम्मीद ही न रखते थे।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya – ज्ञेय वस्तु)

प्रतिज्ञा:
कहा गया कि कुछ लोग आख़ेरत में फल की उम्मीद नहीं करते।

हेतु (Reason):
यह एक सामान्य कथन है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों के परिणाम की आशा या भय रखता है।

उपनय (Application):
आयत में बिना प्रमाण के यह सामान्यीकरण है जो तार्किक दृष्टि से गलत है।

निगमन (Conclusion):
यह प्रमेय सामान्यीकरण की गलती (अतिशयोक्ति) करता है, जो न्याय दर्शन में हेतुवाभास (गलत कारण) माना जाता है।

आयत 28

आयत का अनुवाद:
"और इन लोगो हमारी आयतों को बुरी तरह झुठलाया।"

चुना गया न्याय तत्व: उपमान (Upamana – तुलना)

प्रतिज्ञा:
कहा गया कि लोगों ने आयतों को झुठलाया।

हेतु (Reason):
आयत का विरोध करना दीन और न्याय के विरुद्ध माना गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी धर्मशास्त्रों का अपमान करना अनुचित माना जाता है, परन्तु तर्क और विवेक से बहस स्वीकार्य है।

उपनय (Application):
आयत तर्क और विवेक को नजरअंदाज करती है, केवल विरोध को गलत ठहराती है।

निगमन (Conclusion):
यह दृष्टिकोण संवाद और तर्कशीलता के खिलाफ है, जो न्याय दर्शन में निंदनीय माना जाता है।

आयत 29

आयत का अनुवाद:
"और हमने हर चीज़ को लिख कर मनज़बत कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya)

प्रतिज्ञा:
कहा गया है कि हर कर्म और घटना को लिख लिया गया है।

हेतु (Reason):
यह अंतिम न्याय की नींव माना गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मों का लेखा-जोखा पुनर्जन्म और न्याय के माध्यम से होता है, लेकिन यह 'लिखा जाना' एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।

उपनय (Application):
आयत के इस कथन में भी प्रमाण की कमी है कि कैसे और कहाँ ये सब लिखा गया है।

निगमन (Conclusion):
यह प्रमेय भौतिक और तर्कसंगत आधारों पर अचूक नहीं है।

आयत 30

आयत का अनुवाद:
"तो अब तुम मज़ा चखो हम तो तुम पर अज़ाब ही बढ़ाते जाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व: व्याप्ति (Vyapti)

प्रतिज्ञा:
कहा गया कि दंड लगातार बढ़ता रहेगा।

हेतु (Reason):
यह एक चेतावनी स्वरूप है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मों का फल चक्रवात है, लेकिन सतत बढ़ने वाला दंड या सुख नहीं माना जाता।

उपनय (Application):
यह व्याप्ति अतिशयोक्तिपूर्ण है और सर्वत्र सत्य नहीं हो सकती।

निगमन (Conclusion):
आयत में दी गई सतत सजा की धारणा न्याय दर्शन की विवेकी दृष्टि से असंगत है।

सारणी: तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	न्याय तत्व	तर्क की कमियाँ / विरोधाभास	भारतीय दर्शन संदर्भ
26	हेतु	कर्मफल केवल आख़ेरत तक सीमित, पुनर्जन्म की अनदेखी।	सांख्य योग (कर्मफल सिद्धांत)
27	प्रमेय	सामान्यीकरण, बिना प्रमाण के अंतिम फल की उम्मीद न रखना।	न्याय दर्शन (अतिशयोक्ति का निवारण)
28	उपमान	विरोध को नकारना, संवाद और तर्क की अवहेलना।	वेदांत (तर्कशीलता का महत्व)
29	प्रमेय	’लिखना’ का कोई भौतिक प्रमाण नहीं।	वैशेषिक (भौतिक प्रमाण की आवश्यकता)
30	व्याप्ति	सतत बढ़ने वाला दंड तर्कसंगत नहीं।	सांख्य योग (कर्म और पुनर्जन्म)

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कर्म और दंड की अवधारणा को अंतिम और स्थायी माना गया है, जो न्याय दर्शन के कर्मफल सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती। साथ ही, बिना तर्क और प्रमाण के सामान्यीकरण और संवाद की

अवहेलना भी दिखाई देती है। अतः ये आयतें तार्किक और दार्शनिक दृष्टि से असंगत और मानवता के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना
आयत 31-35

आयतों का अनुवाद:
31. **"बेशक परहेज़गारों के लिए बड़ी कामयाबी है।"**
32. **"(यानि बेहिश्त के) बाग़ और अंगूर।"**
33. **"और वह औरतें जिनकी उठती हुयी जवानियाँ।"**
34. **"और बाहम हमजोलियाँ हैं और शराब के लबरेज़ साग़र।"**
35. **"और शराब के लबरेज़ साग़र वहाँ न बेहूदा बात सुनेंगे और न झूठ।"**

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya - ज्ञात वस्तु) तथा हेतु (Hetu - कारण)

आयत 31

प्रतिज्ञा (Proposition):
परहेज़गारों के लिए बड़ी कामयाबी निश्चित है।

हेतु (Reason):
यह दावा है कि केवल परहेज़गारी से सफलता मिलती है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में जैसे भगवद् गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कर्मफल का महत्व बताया गया है, लेकिन सफलता केवल परहेज़गारी से नहीं बल्कि उचित कर्म और ज्ञान से आती है।

उपनय (Application):
यह आयत सफलता को सीमित कर केवल परहेज़गारी तक, जबकि समग्र मानव जीवन में विवेक, ज्ञान, और धर्म के समन्वय की आवश्यकता होती है।

निगमन (Conclusion):
इस आयत में सफलता का दायरा अत्यंत संकीर्ण है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय के अनुसार वस्तुनिष्ठ नहीं। सफलता के लिए अनेक कारक आवश्यक होते हैं, केवल परहेज़गारी ही पर्याप्त नहीं।

आयत 32

प्रतिज्ञाः
स्वर्ग में बाग़ और अंगूर होंगे।

हेतुः
यह परिकल्पना है कि स्वर्ग का भौतिक स्वरूप बाग़ों और अंगूरों जैसा होगा।

उदाहरणः
वैदिक और सांख्य दर्शन में स्वर्ग को आत्मा की शांति और मुक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो भौतिक वस्तुओं से परे है।

उपनयः
इस आयत का भौतिक स्वरूप आधारित स्वर्ग का विवरण, वेदांत की आत्मा-परमात्मा के अमूर्त स्वरूप के विरोध में है।

निगमनः
यह प्रमेय वस्तुनिष्ठ नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक सत्य को केवल भौतिक वस्तुओं के साथ जोड़ना दार्शनिक दृष्टि से अनुचित है।

आयत 33-34

प्रतिज्ञाः
स्वर्ग में युवतियाँ और शराब के साग़र होंगे।

हेतुः
यह वाद है कि मादक पदार्थ और युवतियाँ परहेज़गारों के लिए स्वर्ग की खुशी का भाग हैं।

उदाहरणः
गीता (अध्याय 6, श्लोक 16-17) में संयम और ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है, न कि मद्यपान या मादकता को।

उपनयः

यह आयत मनुष्य को भौतिक और अस्थायी सुखों की ओर प्रेरित करती है, जबकि भारतीय दर्शन में स्थायी मोक्ष और आत्मा की शुद्धि प्राथमिक मानी गई है।

निगमनः

यह आयत धर्म और योग के उच्च आदर्शों के विरुद्ध है, जो नशा और इंद्रिय सुखों को मोह और बंधन मानते हैं।

आयत 35

प्रतिज्ञाः

स्वर्ग में शराब के साग़र होंगे, जहां न झूठ और न बेहूदा बातें होंगी।

हेतुः

यह दावा है कि शराब के साथ भी नैतिकता और सच्चाई बनी रहेगी।

उदाहरणः

न्याय दर्शन और भगवद् गीता के अनुसार, मादक पदार्थों के सेवन से विवेक और नैतिकता कमजोर होती है।

उपनयः

इस आयत में विरोधाभास है कि शराब के सेवन के साथ ही नैतिक और सत्यनिष्ठ होना संभव नहीं।

निगमनः

यह व्याप्ति (Vyapti) के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि आमतौर पर शराब और नैतिकता का समन्वय असंभव माना जाता है।

सारणीः आयत 31-35 का तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना	दार्शनिक संदर्भ
31	प्रमेय	सफलता केवल परहेज़गारी से सीमित	भगवद् गीताः कर्म और ज्ञान का

			महत्व
32	प्रमेय	स्वर्ग का भौतिक स्वरूप अमूर्त के विरुद्ध	वेदांत: आत्मा का अमूर्त स्वरूप
33-34	हेतु	मादक पदार्थ और युवतियों को स्वर्ग सुख बताना	गीता: संयम और ब्रह्मचर्य
35	व्याप्ति	शराब और नैतिकता का समन्वय असंभव	न्याय दर्शन: विवेक और नैतिकता

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में स्वर्ग के भौतिक और भौतिक-सुखों से भरे स्वरूप का वर्णन है, जो भारतीय दर्शन के आत्मा-परक, संयम और मोक्ष के सिद्धांतों से असंगत है। मादक पदार्थों को स्वर्गीय सुख बताना नैतिकता और विवेक के विरुद्ध है, जो न्याय दर्शन और भगवद् गीता में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। अतः यह संदेश मानवता के लिए सर्वमान्य, तार्किक और तात्त्विक दृष्टि से अस्वीकार्य है।

यदि आप चाहें तो अगली आयतों का भी इसी ढांचे में विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता हूँ।

आयतों का न्याय दर्शन के आधार पर तार्किक विश्लेषण और आलोचना
आयत 36-40

आयतों का अनुवाद:
36. "(यह) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से काफी इनाम और सिला है।"
37. "जो सारे आसमान और ज़मीन और जो इन दोनों के बीच में है सबका मालिक है बड़ा मेहरबान। लोगों को उससे बात का पूरा न होगा।"
38. "जिस दिन जिबरील और फरिश्ते (उसके सामने) पर बाँध कर खड़े होंगे (उस दिन) उससे कोई बात न कर सकेगा मगर जिसे ख़ुदा इजाज़त दे और वह ठिकाने की बात कहे।"
39. "वह दिन बरहक़ है तो जो शख़्स चाहे अपने परवरदिगार की बारगाह में (अपना) ठिकाना बनाए।"
40. "हमने तुम लोगों को अनक़रीब आने वाले अज़ाब से डरा दिया जिस दिन आदमी अपने हाथों पहले से भेजे हुए (आमाल) को देखेगा और काफिर कहेगा काश मैं ख़ाक हो जाता।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana), प्रमेय (Prameya), हेतु (Hetu)

आयत 36

प्रतिज्ञा (Proposition):
परवरदिगार की ओर से काफ़ी इनाम और सिला दिया जाएगा।

हेतु (Reason):
यह दावा करता है कि ईश्वर से मिलने वाला इनाम निश्चित और पर्याप्त है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत है, जिसमें फल कर्मों के अनुरूप मिलता है, न कि एक निश्चित और सर्वव्यापी इनाम। गीता (अध्याय 4, श्लोक 13) के अनुसार कर्मों का फल व्यक्तिगत और परिस्थिति के अनुसार भिन्न होता है।

उपनय (Application):
इस आयत में इनाम की सार्वभौमिकता और निश्चितता की बात कही गई है, जो वास्तविक जीवन के अनुभव और कर्म सिद्धांत से मेल नहीं खाती।

निगमन (Conclusion):
यह आयत कर्मफल के लचीले और व्यक्तिगत स्वभाव को अनदेखा कर एक सर्वव्यापी इनाम का दावा करती है, जो न्याय दर्शन के प्रमाण तत्व के अनुसार उचित नहीं।

आयत 37

प्रतिज्ञा:
परवरदिगार सारे आसमान, ज़मीन और उनके बीच के सब चीज़ों का मालिक है और वह बड़ा मेहरबान है। लोगों को उससे पूरी बात करने का अवसर नहीं होगा।

हेतु:
यह ईश्वर की सर्वव्यापिता और सीमित मनुष्यों की संचार क्षमता को दर्शाता है।

उदाहरण:
उत्तरा मीमांसा (वेदांत) के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में मनुष्य की योग्यता और स्तर भिन्न है। मनुष्य ईश्वर के साथ संवाद अपने स्तर के अनुसार करता है।

उपनय:
इस आयत में ईश्वर की सर्वव्यापिता का स्वीकार है, किन्तु "पूरी बात का अवसर न होना" तर्कहीन है क्योंकि संवाद में अनिवार्य है कि दोनों पक्षों की सहमति और बातचीत हो।

निगमन:
यह आयत संवाद के स्वाभाविक तत्त्व का उल्लंघन करती है, जो न्याय दर्शन और संवाद के तर्क के खिलाफ है।

आयत 38

प्रतिज्ञा:
जिस दिन जिबरील और फरिश्ते उसके सामने बंध कर खड़े होंगे, उस दिन कोई बात नहीं कर सकेगा, सिवाय जिसके ईश्वर इजाजत देगा।

हेतु:
यह दिन भय और नियंत्रण का दिन बताया गया है, जहां केवल ईश्वर की अनुमति से ही बातचीत संभव होगी।

उदाहरण:
भारतीय दर्शन में संवाद और निर्णय स्वतंत्रता का आधार होते हैं। गीता (अध्याय 18, श्लोक 66) में भी बताया गया है कि ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर है।

उपनय:
यह आयत स्वतंत्रता और संवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि यह केवल ईश्वर के नियंत्रण को संवाद की पूर्व शर्त बनाता है।

निगमन:
यह आयत न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण तत्वों के विरुद्ध है, जो संवाद की स्वतंत्रता और तर्क की मान्यता देते हैं।

आयत 39

प्रतिज्ञा:
जो चाहे वह अपने परवरदिगार के सामने अपना ठिकाना बना सकता है।

हेतु:
यह स्वतंत्रता का दावा है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना अंतिम स्थान चुन सकता है।

उदाहरण:
गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कर्म और नियति दोनों का संतुलन बताया गया है, व्यक्ति की इच्छा से सब कुछ संभव नहीं।

उपनय:
यह आयत स्वतंत्र इच्छा की बात करती है, परंतु ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और नियति के सिद्धांत के साथ असंगत है।

निगमन:
यह आयत नियति और कर्म सिद्धांत के साथ विरोधाभासी है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय तत्व के तहत सत्यता की जाँच से बाहर है।

आयत 40

प्रतिज्ञा:
आज़ाब के दिन आदमी अपने कर्मों को देखेगा और पश्चाताप करेगा।

हेतु:
यह दिन न्याय और परिणाम की घटना बताता है।

उदाहरण:
न्याय दर्शन में कर्मफल की अवधारणा है, लेकिन पश्चाताप के साथ कर्म सुधार का भी स्थान है। भगवद् गीता (अध्याय 18, श्लोक 66) में ईश्वर की शरण में आकर कर्मों का भार कम करने की बात कही गई है।

उपनयः

यह आयत केवल भय और पश्चाताप पर केन्द्रित है, जो मनुष्य के सुधार और प्रगति के सिद्धांत के विरुद्ध है।

निगमनः

यह आयत न्याय दर्शन और गीता के तात्त्विक सिद्धांतों के विपरीत है, जो पश्चाताप के साथ सुधार और मुक्ति को भी महत्व देते हैं।

सारणीः आयत 36-40 का तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना	दार्शनिक संदर्भ
36	प्रमाण	कर्मफल की लचीली प्रकृति को नजरअंदाज किया गया	भगवद् गीताः कर्मफल का लचीला सिद्धांत
37	प्रमेय	संवाद में पूरी बात न होने का दावा तर्कहीन	वेदांतः संवाद और ज्ञान का स्तर भिन्न होता
38	प्रमेय, हेतु	संवाद की स्वतंत्रता को सीमित करना	न्याय दर्शनः संवाद की स्वतंत्रता
39	प्रमेय	इच्छा और नियति का विरोधाभास	गीताः कर्म और नियति का संतुलन
40	प्रमेय, हेतु	केवल पश्चाताप पर केन्द्रित, सुधार की अनदेखी	गीताः सुधार और मुक्ति का महत्व

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को लेकर तार्किक विरोधाभास दिखते हैं। संवाद और निर्णय की स्वतंत्रता को सीमित करना न्याय दर्शन के प्रमाण और प्रमेय तत्वों के विरोध में है।

साथ ही, कर्मफल की लचीली प्रकृति और मनुष्य के सुधार की संभावना को नजरअंदाज करना भी दार्शनिक दृष्टि से अनुचित है। अतः ये आयतें मानवता के लिए सर्वमान्य और तार्किक दृष्टि से अस्वीकार्य हैं।

यदि आप चाहें तो अगली आयतों का भी इसी ढांचे में विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता हूँ।